न्यायालय अपर जिला एवं न्यायाधीश, कक्ष सं0 1, बरेली।

प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः (764/2026).

UPBR01-006313-2026.

जुबैर उर्फ छोटा पुत्र जाकिर,

निवासी 17 कटिकुईयां पुराना शहर थाना बारादरी, जिला बरेली।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

अन्तर्गत धाराः 191(2), 115(2), 352, 351(2), 131, 118(1), 109 बी0एन0एस0।

थाना– बारादरी, जिला बरेली।

मु0अ0सं0– 591/2026

05.06.2026

आवेदक/अभियुक्त **जुबैर उर्फ छोटा** की ओर से प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया है। जमानत आवेदन के साथ शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

जमानत के प्रश्न पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

अभियोजन कथनानुसार प्रार्थी की अनस पुत्र उवैश व जुबैर पुत्र जाकिर उर्फ गंठा एवं फैजान पुत्र शाने इस्लाम निवासी कटकुईया बकर कसाब वाली गली रमजान के महीने में कहा सुनी हो गई थी इसी रंजिश को लेकर कल दिनांक 10–05–2026 समय 4 बजे शाम में अपने दोस्त शारिक पुत्र हबीब निवासी सूफी टोला पुराना शहर बरेली के साथ सैलानी चौराहे से बजरिया इनायतगंज की ओर जा रहे थे जब मैं व शारिक शिकंजी की दुकान से थोड़ा आगे बढ़ा तब ही पीछे से अनस. जुबैर उर्फ छोटा व फैजान व 02 अज्ञात व्यक्तियो ने पीछे से आकर हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी और गाली गलौच करने लगे और जान से मारने की नियत से अनस ने मुझ पर चाकू से वार कर दिया तथा फैजान ने मेरे दोस्त शारिक पर जान से मारने की नियत से चाकू से हमला कर दिया जिससे मुझे व शारिक को बहुत चोट आई है। हम दोनों को चाकूओं से घायल कर दिया आसपास के दुकानदारों व बाजार में शांति भंग हो गई शोर शराबा होने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गए और प्रार्थी व शारिक को थाना बारादरी लेकर गए। थाना बारादरी ने प्रार्थी व शारिक को जिला अस्पताल भेज दिया है।

वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर प्रकरण अ0सं0 591/2026 अन्तर्गत धाराः 191(2), 115(2), 352, 351(2), 131, 118(1), 109 बी0एन0एस0 तहत पंजीकृत किया गया। मामला विवेचनाधीन है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत प्रथम आवेदन है। धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत भारत के किसी भी अधीनस्थ न्यायालय या किसी भी माननीय उच्च न्यायालय में अवेदन न तो प्रस्तुत किया है और न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। अभियुक्त किसी भी संज्ञेय अपराध के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध नही किया गया है न ही पहले कभी कोई कारावास भुगता है। उपरोक्त वाद की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी पर धारा 109 बी०एन०एस० का अपराध नहीं बनता है न ही प्रार्थी का उपरोक्त घटना से कोई वास्ता ताल्लुक है। प्रार्थी को रंजिशन घटना में शामिल कर लिया है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। उपरोक्त वाद के वादी से पूर्व में कहासुनी हो गयी थी जिसकी वजह से रंजिश चल रही थी उसी रंजिश के बिना पर यह मुकदमा झूठे व बेबुनियाद तथ्यों पर दर्ज करा दिया है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी को थाना बारादरी पुलिस थाना बरेली की पुलिस कई बार दबिश देकर गिरफतार करने का प्रयास कर चुकी है तथा थाना बारादरी पुलिस कभी भी प्रार्थी को गिरफ्तार कर जेल भेज सकती है इसलिये यह आवेदन प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी दौरान मुकदमा अपनी जमानत देने को तैयार है। उपरोक्त आधारों पर अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया और तर्क दिया कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि उसके द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र बताया गया है। कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। उपरोक्त वाद में वादी से पूर्व में कहासुनी हो गयी थी जिसकी वजह से रंजिश चल रही थी उसी रंजिश को लेकर मुकदमा दर्ज करा दिया है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उसे थाना बारादरी की पुलिस कई दबिश देकर गिरफ्तार करने का प्रयास कर चुकी है। थाना बारदरी पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर जेल भेज सकती है। वह निर्दोष है।

प्रश्नगत मामले में सभी चोटें साधारण प्रकृति की हैं। उपरोक्त अभियुक्त

के विरूद्ध विवेचना प्रचलित है। दौरान विचारण अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस प्रकार मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस मामले के गुण दोष पर बिना कोई विचार किये में आवेदक की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने हेतु पर्याप्त आधार पाता हूँ। तद्नुसार आवेदक की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **जुबैर उर्फ छोटा** द्वारा प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, अभियुक्त द्वारा रूपये– **50,000**/– (पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि के दो प्रतिभू निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रस्तुत करने पर नियमानुसार जमानत पर रिहा किया जाता है :–

1. प्रार्थी/अभियुक्त आरोप विरचित दिनांक तथा बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 दिनांक को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
2. प्रार्थी/अभियुक्त अभियोजन साक्षी को किसी भी प्रकार से डरायेगा, धमकायेगा नहीं और न ही अभियोजन साक्ष्य से छेडछाड़ करेगा।
3. प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पर अवमुक्त होने के उपरान्त न्यायालय में नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होगा तथा विचारण में सहयोग करेगा, जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा तथा जमानत अवधि में कोई अविधिक क्रिया कलाप नहीं करेगा।

(विजेन्द्र त्रिपाठी) ,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0 1, बरेली
जे0ओ0 कोड यू0पी0–6160

दिनांकः 05.06.2026

अभियोजन की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कथन किया है कि मामले में तहरीर में ही अभियुक्त का नाम दर्शित है। अभियुक्त ने वादी पर चाकू से घायल करने के आरोप हैं। चोटें मर्म स्तर की हैं। प्रकरण विवेचनाधीन है। वादी ने अपने धारा 180 बी0एन0एस0एस0 के बयानों में घ ाटना का समर्थन किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार *''वादी मुकदमा एवं उसके साथ शारिक को पीछे से अनस, जुबैर उर्फ छोटा, व फैजान व 02 अज्ञात व्यक्तियो ने पीछे से आकर हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी और गाली गलौच करने लगे और जान से मारने की नियत से चाकू से वार कर दिया तथा दोस्त शारिक पर जान से मारने की नियत से चाकू से हमला कर दिया जिससे मुझे व शारिक को बहुत चोट आई है। हम दोनों को चाकूओं से घायल कर दिया''* यदि पकड़ने के स्तर पर चाकू मारा गया है तथा इस प्रकार की सहमति नहीं दी जाती तो इस प्रकार का अपराध कारित नहीं होता। ऐसी दशा में यह कहने का कोई औचित्य नहीं है। वादी व उसके साथी को

चाकू से वार किये जाने जिससे उनके शरीर के मर्म अंगों पर चोटें कारित किये जाने के आरोप हैं।

अतः अपराध कारित करने में अभियुक्त की प्रत्यक्ष भूमिका व कारित अपराध की गम्भीरता एवं केसडायरी में उपलब्ध साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का कोई न्यायोचित आधार प्रतीत नही होता। प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है।

Digitally signed by VIJENDRA TRIPATHI
Date: 2026.06.10 16:52:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court